L-14
B-II
Polity

• भूतलक्षी विधि →

① संसद अथवा राज्य विधानसभाओं के द्वारा आपराधि-क मामले में कोई भी विधि अपनी निर्माण की तिथि से पहले लागू नहीं की जा सकती।

② इसका अभिप्राय है कि विधि भविष्य के लिए ही लागू होगी और अनुच्छेद 20 में आपराधिक मामलों का उल्लेख है इसलिए दीवानी या सिविल मामलों में निर्मित विधियाँ अतीत से लागू की जा सकती हैं।

दोहरा जोखिम →

① यह विचार अमेरिकी विधि से लिया गया है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध में एक ही बार अभियोजित और दण्डित किया जाएगा।

② यह सिद्धांत प्रशासन के द्वारा दिए गए दण्ड के लिए लागू नहीं होता केवल न्यायालय किसी व्यक्ति को दो बार अभियोजित और दण्डित नहीं कर सकता।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अपने विरूद्ध गवाही देने से आजादी →

1. अनुच्छेद २० में यह उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को अपने विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा इसलिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध सबूत जैसे - फिंगरप्रिंट, रक्त के निशान जैसे सबूत खोजने का दायित्व राज्य का है।

दैहिक और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार →

① स्वतंत्रता का सबसे सटीक अर्थ बाधाओं, बन्धन या प्रतिबंध का अभाव है।

② स्वतंत्रता विधि की अनुपस्थिति नहीं है।

③ स्वतंत्रता विधि के अभाव में संभव नहीं है लेकिन तानाशाही राज्यों में विधि के होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती इसलिए लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक सरकार के अन्तर्गत ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

जीवन और दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध →

1. यह निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है बल्कि राज्य के द्वारा इसे सीमित किया जा सकता है इसीलिए जीवन

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform

के अधिकार में आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है (ज्ञान कौर वाद)।

जीवन का अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध →

① जीवन के अधिकार की व्याख्या सम्बन्धी पहला वाद ए. के. गोपालन था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध होता है विधायिका के विरुद्ध नहीं। जिसका अभिप्राय है कि विधि बनाकर किसी व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है और गोपालन को निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था।

अनुच्छेद 19 और 21 में सम्बन्ध :-

1. उच्चतम न्यायालय ने ए. के. गोपालनवाद में जीवन के अधिकार की अत्यधिक संकीर्ण व्याख्या की जिसके अनुसार यदि व्यक्ति के शारीरिक अंगों को क्षतिग्रस्त न किया जाए अथवा उसे प्रताड़ित न किया जाए तो उसका जीवन का अधिकार बना रहेगा और

अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे से पृथक हैं जिनके बीच सम्बन्ध देखने की आवश्यकता नहीं है।

आपातकाल में जीवन के अधिकारों का निलम्बन :-

वर्ष 1976 में निवारक नजरबंदी के एक अन्य कानून मीसा का निर्माण किया गया जिसके द्वारा वर्ष 1975 में घोषित आंतरिक आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकारों का व्यापक उल्लंघन किया गया और उच्चतम न्यायालय ने भी जीवन के अधिकारों को बचाने में असमर्थता व्यक्त कर दी [ADM जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला वाद जिसे लोक-प्रिय रूप में बन्दी प्रत्यक्षीकरण वाद (Habeas Corpus) के नाम से भी जानते हैं।]

आलोचकों ने इस निर्णय को न्यायपालिका के लिए काले दिन के समान माना था।

मेनका (मानेका) गाँधी वाद :-

जीवन का अधिकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध →

① उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय

देते हुए कहा (7 न्यायाधीशों की बेंच) कि जीवन का अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध होता है। न्यायालय ने ऐसा इसलिए कहा कि उसने अनुच्छेद-21 में उल्लेखित शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया।

② विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि और उसकी प्रक्रिया के निर्माण की शक्ति संसद को दी गयी लेकिन उचित प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय ने अपनी शक्तियों का विस्तार कर लिया और यह कहा कि संसद के द्वारा निर्मित प्रक्रिया अतार्किक, असम्यक, मनमानी या स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए।

③ विधि की प्रक्रिया का उचित और अनुचित होना आत्मनिष्ठ विषय है।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत →

1. इस शब्द का उल्लेख संविधान या विधि में नहीं है।
2. प्राकृतिक न्याय प्रत्येक विधि की अंतर्निहित भावना है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

3. उच्चतम न्यायालय पासपोर्ट अधिनियम की प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कहा जिसके अनुसार व्यक्ति अपने ही मामलों में न्यायाधीश नहीं होगा।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

5. व्यक्ति को दिया गया दण्ड उचित होना चाहिए।

6. दण्ड देने वाली संस्था वैधानिक होनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कह दिया कि अनुच्छेद -19 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए 19 में उल्लेखित तार्किक प्रतिबंध 21 के लिए भी लागू होगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR